बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

आवश्यक सूचना

विभिन्न श्रम संहिताओं में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा ड्राफ्ट नियमावली का सूत्रण किया गया है एवं संहिताओं के प्रावधानों के अपेक्षानुसार आम जनमानस की आपत्ति एवं सुझाव हेतु ड्राफ्ट नियमावलियों को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/labour/CitizenHome.html पर अपलोड किया गया है। ड्राफ्ट नियमावलियाँ विभागीय वेबसाईट के **Labour Code** एवं **Notice Board Tab** पर उपलब्ध है।

विभिन्न संगठनों द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में ड्राफ्ट नियमावलियों पर आपत्ति एवं सुझाव हेतु पूर्व में निर्धारित 45 दिनों की अवधि को निम्नवत् विस्तारित किया गया है।

क्र० सं०	ड्राफ्ट नियमावलियों का नाम	गजट संख्या एवं प्रकाशन की तिथि	आपत्ति एवं सुझाव हेतु निर्धारित अवधि (गजट में प्रकाशन की तिथि से)	विस्तारित अवधि
1	ड्राफ्ट वेतन संहिता (बिहार) नियमावली, 2025	गजट संख्या–1753, दिनांक–05.12.2025	गजट में प्रकाशन की तिथि से 45 दिन	दिनांक– 15 फरवरी, 2026 तक
2	ड्राफ्ट औद्योगिक संबंध (बिहार) नियमावली, 2025	गजट संख्या–1754, दिनांक–05.12.2025	गजट में प्रकाशन की तिथि से 45 दिन	दिनांक– 15 फरवरी, 2026 तक
3	ड्राफ्ट सामाजिक सुरक्षा (बिहार) नियमावली, 2025	गजट संख्या–1762, दिनांक–10.12.2025	गजट में प्रकाशन की तिथि से 45 दिन	दिनांक– 15 फरवरी, 2026 तक
4	ड्राफ्ट बिहार उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा नियमावली, 2025	गजट संख्या–1794 दिनांक–19.12.2025	गजट में प्रकाशन की तिथि से 45 दिन	दिनांक– 15 फरवरी, 2026 तक

उक्त ड्राफ्ट नियमावलियों के संबंध में यदि कोई आपत्ति एवं सुझाव हो तो उसे श्रमायुक्त, बिहार को अथवा **lcbihar@bihar.gov.in** पर ईमेल से भेजा जा सकता है।

5/2/26

(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार